



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052025-263166
CG-DL-E-16052025-263166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2161]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2025/वैशाख 26, 1947

No. 2161]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2025/VAISAKHA 26, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2025

का.आ. 2212(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित तत्कालीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 4361(अ), तारीख 19 सितंबर, 2022 का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) पैरा 1 में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“1. डा. सुदर्शन पांडा, भा.व.से. (सेवानिवृत्त),
के-8/135, कलिंगा नगर, भुवनेश्वर-751003

अध्यक्ष;”

(ii) पैरा 2क के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2क. डा. सुदर्शन पांडा का कार्यकाल प्राधिकरण के अन्य सदस्यों के कार्यकाल का सह-विस्तारी होगा।”।

[फा. सं. आईए 3-1/3/2022-आईए.3]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 4361(अ), तारीख 19 सितंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. सं. 4589(अ), 19 अक्टूबर, 2024 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2025

S.O. 2212(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub –section (ii), *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* number S.O. 4361(E), dated the 19th September, 2022, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 1, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“1. Dr. Sudarsan Panda, IFS (Retd.) Chairman;”;
K-8/135, Kalinga Nagar, Bhubaneswar-751003

(ii) for paragraph 2A, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2A. The tenure of Dr. Sudarsan Panda shall be co-terminus with the tenure of the other Members of the Authority.”.

[F. No. IA3-1/3/2022-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4361(E), dated the 19th September, 2022, subsequently amended *vide*, number S.O. 4589 (E), dated 19th October, 2024.